

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल, दिनांक:-22/12/2020

क्रमांक 5564 /टीसी/14/उपा/नगानि/2020 भोपाल, - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट पन्ना विकास योजना 2011 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं.	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	पन्ना	665	0.057	प्रस्तावित आवासीय तथा प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शिक्षा)	मिश्रित
2.	पन्ना	666	0.388	प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शिक्षा) तथा प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़ा मार्ग (वर्तमान में मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर)	मिश्रित एवं प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़ा मार्ग
3.	पन्ना	667	0.113	प्रस्तावित वाणिज्यिक (सामान्य), प्रस्तावित आवासीय तथा प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़ा मार्ग	मिश्रित एवं प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़ा मार्ग
4.	पन्ना	668/2	0.441	प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शिक्षा), प्रस्तावित आवासीय तथा प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़ा मार्ग	मिश्रित एवं प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़ा मार्ग
		योग	0.999 हेक्टेयर		

- उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी।
- उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, म0प्र0 भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार लागू होंगे। प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छतरपुर तथा वेबसाइट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

निरंतर.....

AM

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, छतरपुर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।



(अजीत कुमार)

आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल